

दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

सं.एफ.7(01)2010-11/सीआर/डीडीए/455

दिनांक: 29.06.2021

परिपत्र


विषय: वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को ऑनलाइन (और ऑफलाइन) भरने के लिए समय सीमा का और आगे विस्तार।

कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को ऑनलाइन (और ऑफलाइन) भरने के लिए समय सीमा को बढ़ाने के संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या एफ.7(01)2010-11/सीआर/डीडीए/716 दिनांक 23.04.2021 और सं. एफ.7(01)2010-11/सीआर/डीडीए/717 दिनांक 21.06.2021 के अनुक्रम में दि.वि.प्रा. के समूह 'क', 'ख', एवं 'ग' अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए एपीएआर को प्रस्तुत करने की समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया है।

दि.वि.प्रा. के समूह 'क', 'ख' और 'ग' अधिकारियों के लिए वर्ष 2020-21 के लिए एपीएआर को रिकॉर्ड करने और पूरा करने के लिए संशोधित समय अनुसूची नीचे अनुलग्नक 'क' के अनुसार होगी।

इसके अतिरिक्त 31.12.2021 तक वार्षिक चिकित्सा जाँच और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने से वर्ष 2020-21 के लिए एपीएआर को रिकॉर्ड करने और पूरा करने को डीलिंग करने से संबंधित दिनांक 14.06.2021 के सम संख्या डीओपीटी ओएम और दिनांक 21.06.2021 के दि.वि.प्रा. परिपत्र सं. एफ.7(01)/2010-11/सीआर/डीडीए/717 के द्वारा संप्रेषित द्वारा निर्णय यथावत रहेंगे।

सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे सभी समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारियों/कर्मचारियों को उपयुक्त निदेश जारी करें और उनके समुचित अनुपालन के लिए अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में उक्त अनुदेशों के व्यापक परिचालन को भी सुनिश्चित करें।


(धर्मेन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सभी शाखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. निदेशक (कार्मिक I एवं II) को सूचनार्थ।
3. निदेशक (प्रणाली) विभाग, दि.वि.प्रा. को दि.वि.प्रा. वेबसाइट पर उपर्युक्त परिपत्र को अपलोड करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रोग्रामर प्रणाली को आगे निदेशों के लिए।

दि.वि.प्रा. के समूह 'क', 'ख' और 'ग' के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वर्ष 2020-2021 के लिए ए पी ए आर को रिकॉर्ड करने और पूरा करने के लिए बढ़ाई गयी समय अनुसूची ।

क्र.सं.	गतिविधि	किस तिथि तक गतिविधि पूरी की जानी है
(1)	(2)	(3)
1.	ए पी ए आर के ऑनलाइन सृजन के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मांग पत्र	31 जुलाई 2021 तक
2.	रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन की प्रस्तुति	31 अगस्त 2021
3.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा ए पी ए आर रिपोर्ट किया जाना	30 सितंबर 2021
4.	समीक्षा अधिकारी द्वारा ए पी ए आर की समीक्षा करना	15 नवंबर 2021
5.	स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा ए पी ए आर स्वीकार किया जाना	15 दिसंबर 2021
6.	(i) जहां स्वीकर्ता अधिकारी न हो, वहाँ रिपोर्ट भरे गए अधिकारी को ए पी ए आर का (ii) जहां स्वीकर्ता अधिकारी हो, वहाँ रिपोर्ट भरे गए अधिकारी को एपीएआर का प्रकटीकरण	30 नवंबर 2021 31 दिसंबर 2021
7.	अभ्यावेदन यदि एपीएआर पर कोई हो, की प्राप्ति	प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिन
8.	निम्नलिखित मामलों में सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन अग्रेषित करना (क) जहां एपीएआर के लिए स्वीकर्ता अधिकारी न हो (ख) जहां एपीएआर के लिए स्वीकर्ता	31 दिसंबर 2021 15 जनवरी 2022

अधिकारी हो

9.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन के प्राप्ति की तिथि के एक महीने के अंदर

10.

एपीएआर सैल द्वारा अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय का संप्रेषण

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय के 15 दिनों के अंदर

11.

पूर्ण एपीएआर प्रक्रिया का समापन जिसके बाद एपीएआर को अंतिम रूप से रिकॉर्ड में लिया जाएगा।

31 मार्च 2022